



# राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

**National Water Development Agency**

**Ministry of Jal Shakti, Government of India**

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)



सं० राज.वि.अ./मु.अ.(मुख्या.)/आरटीआई/2019/६७२

दिनांक: २१ / ५ / २०२०

## आदेश

श्री गौरव शर्मा, 1621 इन्दिरा नगर, प्रथम ब्रहमपुरी, मेरठ-250002 (उ.प्र.) (अपीलकर्ता) का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिनांक 12.02.2020 के द्वारा सूचना मांगी थी ।

2. इस संबंध में यह कहना है कि सी.पी.आई.ओ द्वारा इस कार्यालय का पत्र सं० 12/85/2019-प्रशा./696 दिनांक 20.03.2020 द्वारा मांगी गई जानकारी का जबाब दिया जा चुका है ।

3. श्री गौरव शर्मा द्वारा दिनांक 01.04.2020 को प्रस्तुत पहली अपील की समीक्षा की गई है । तदनुसार अपील की जांच अधोहस्ताक्षरी ने की और यह पाया कि सी.पी.आई.ओ. द्वारा दी गई जानकारी सही है ।

4. अतः उपरोक्त जवाब के मद्देनजर अपील दिनांक 01.04.2020 का निपटान किया जाता है ।

*आर.के.जैनी*  
(आर.के.जैनी) 20/5/2020

मुख्य अभियंता (मुख्या) एवं  
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

(e-mail Id - cehqnwda@rediffmail.com)

☎ 26852735.

सेवा में

श्री गौरव शर्मा,  
1621 इन्दिरा नगर,  
प्रथम ब्रहमपुरी,  
मेरठ-250002 (उ.प्र.)

प्रतिलिपि:

1. निदेशक (प्रशा.) सीपीआईओ एवं नोडल अधिकारी, राज.वि.अ., साकेत, नई दिल्ली ।
2. निदेशक (एम.डी.यू.), राज.वि.अ., नई दिल्ली इसे राज.वि.अ. की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें

